



## कृषक उन्नतियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को नकद हस्तांतरण

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों, मुख्य रूप से धान की खेती करने वालों को इनपुट सहायता प्रदान करने के लिये 'कृषक उन्नतियोजना' शुरू की और योजना के तहत **2.472 मिलियन किसानों को 13,320 करोड़ रुपए** जारी किये।

### मुख्य बटु:

- वर्ष 2023-24 खरीफ सीज़न के लिये धान की खरीद 1 नवंबर से 4 फरवरी के बीच हुई थी और **न्यूनतम समर्थन मूल्य** पर 2.4 मिलियन से अधिक किसानों से लगभग **145 लाख मीट्रिक टन (MT) धान खरीदा गया था**।
- सामान्य ग्रेड धान के लिये MSP 2183 रुपए प्रति क्वटिल और ग्रेड A धान के लिये 2203 रुपए था।
- MPS से अंतर की राशिकिसानों को 917 रुपए प्रति क्वटिल की दर से इनपुट सहायता के रूप में दी गई।
- राज्य सरकार ने दसिंबर 2023 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर किसानों को दो वर्षों (2014-15 और 2015-16) के लिये 3,716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस भी दिया।

**नोट:** धान की खरीद मूल्य तय करने और मल्लिड चावल के व्यापार के लिये चावल की कसिर्मों को आकार लंबाई: चौड़ाई (L:B अनुपात) के आधार पर **ग्रेड A'** तथा 'सामान्य' के रूप में वर्गीकृत कया जाता है।



# ₹ न्यूनतम समर्थन मूल्य Minimum Support Price (MSP)

वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है; किसानों द्वारा वहाँ किये गए उत्पादन लागत के कम-से-कम 1.5 गुणा की गणना के आधार पर

## • सिफारिश:

- 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) द्वारा सरकार को 22 अधिदृष्ट फसलों के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) तथा गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की जाती है।
- 22 अधिदृष्ट फसलें :
  - (14 खरीफ, 6 रबी और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें)
- 7 अनाज- धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी
- 5 दालें- चना, अरहर/तूर, मूंग, उड़द और मसूर
- 7 तिलहन- मूंगफली, सफेद सरसों/सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुंभ और रामतिल
- कच्चा कपास
- कच्चा जूट
- नारियल/गरी (कोपरा)

**MSP वह मूल्य है जिस पर सरकार को किसानों से अधिदृष्ट फसलों की खरीद करनी होती है, यदि बाजार मूल्य इससे कम हो जाता है**

## • MSP की सिफारिश में प्रयुक्त कारक:

- फसल की खेती में आने वाली लागत
- फसल के लिये आपूर्ति एवं मांग की स्थिति
- बाजार मूल्य प्रवृत्तियाँ
- अंतर-फसल मूल्य समता
- उपभोक्ताओं के लिये निहितार्थ (मुद्रास्फीति)
- पर्यावरण (मिट्टी तथा पानी के उपयोग)
- कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें
- MSP की सिफारिश करते समय CACP द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।
- MSP का कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है - कोई भी किसान अधिकार के रूप में MSP की मांग नहीं कर सकता है

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/chhattisgarh-government-transfers-funds-under-krishak-unnati-scheme>

